



कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, छत्तीसगढ़

अरण्य भवन, सेक्टर-19, नार्थ ब्लॉक, केपिटल कॉम्प्लेक्स, नया रायपुर - 492002

(अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक - भू-प्रबंध)

दूरभाष: 0771 - 2512840

ई - मेल: apccf-lm.cg@gov.in

क्र./भू-प्रबंध/विविध/115-442/ 727
प्रति,

रायपुर, दिनांक 26/12/2017

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (क्षेत्रीय)

भारत सरकार - पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

क्षेत्रीय कार्यालय - वेस्ट सेंट्रल रीजन

ईस्टर्न विंग - भू तल, न्यू सेक्रेटेरियेट भवन - VCA के सामने

सिविल लाईन, नागपुर - 440001

पंजी क्र. 406.0/10-2/ वन
दिनांक 30.12.2017

विषय :-

Diversion of 459.522 ha. of Forest Land in favour of Chhattisgarh East West Rail Corridor Ltd, for Construction of East West Rail Corridor from Marwahi Forest Division (77.178 ha.) and Katghora Forest Division (382.344 ha.), under Forest (Conservation) Act, 1980 in Bilaspur and Korba District in the State of Chhattisgarh.

- पंजीयन क्रमांक / FP/CG/RAIL/ 6817/ 2014

- संदर्भ: 1. भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, नागपुर में आयोजित आर.ई.सी. में लिए गये निर्णय दिनांक 14.12.2017
2. आवेदक विभाग का पत्र क्रमांक/CERL/17-18/111 दिनांक 26.12.2017

-0-

विषयांतर्गत संदर्भित पत्रों का अवलोकन करें (छाया प्रति संलग्न)।

भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, नागपुर द्वारा दिनांक 14.12.2017 को आयोजित आर.ई.सी. की बैठक में लिये गये निर्णय अनुसार प्रकरण के संबंध में बिन्दु क्रमांक-2 में 3 बिन्दुओं पर पूर्ण जानकारी चाही गई है।

1. संदर्भ पत्र - 2 के माध्यम से उक्त जानकारी आवेदक विभाग द्वारा बिन्दुवार प्रेषित किया गया है, जो निम्नानुसार है:-

क्र.	चाही गई जानकारी	प्रतिवेदन
i	Detailed Cost Benefit Analysis to be submitted.	आवेदक संस्थान द्वारा विस्तृत Cost Benefit Analysis प्रस्तुत किया गया है (संलग्नक-एक)।
ii	Submit the undertaking as per Govt. of India, MoEF&CC guideline dated of 07-01-2013.	आवेदक संस्थान द्वारा वचन पत्र प्रस्तुत किया गया है (संलग्नक-दो)
iii	Comments of the NTCA may be obtained as the proposed line is located at a distance of approximately 9.0 KM from the Achanakmar-Bandhavgarh.	NTCA को अभिमत हेतु भेजा गया है, जिससे अभिमत अप्राप्त है। आवेदक संस्था द्वारा वचन पत्र दिया गया है जिसमें NTCA के द्वारा अधिरोपित शर्तों के पालन हेतु प्रतिबद्धता दर्शायी गयी है (संलग्नक-तीन)

(F)

(Signature)

(Signature)

अतः REC की बैठक दिनांक 14.12.2017 में लिये गये निर्णय अनुसार बिन्दु क्रमांक-4 के संदर्भ में प्रथम चरण स्वीकृति जारी किये जाने का अनुरोध है।

संलग्न : उपरोक्तानुसार

(एस. एस. बजाज)
अ.प्र.मु.व.स (भू - प्रबंध/व.सं.अ)
छत्तीसगढ़

क्र./भू-प्रबंध/विविध/115-442/ 37-28

रायपुर, दिनांक 26/12/2017

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:

1. अपर मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वन विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर।
संलग्न:- उपरोक्तानुसार
2. मुख्य वन संरक्षक, बिलारापुर वृत्त, बिलासपुर, छत्तीसगढ़।
3. वन मंडलाधिकारी, कटघोरा वन मंडल, कटघोरा, छत्तीसगढ़।
4. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, छत्तीसगढ़ ईस्ट रेल्वे लिमिटेड, द्वितीय तल, सी.एस.आई.डी.सी, कामर्शियल कॉम्पलेक्स, महादेव घाट रोड़, रायपुरा चौक, रायपुर, छत्तीसगढ़।

वर्तमान में किसी भी क्षेत्र में कार्य प्रारंभ करने की अनुमति नहीं है।

(एस. एस. बजाज)
अ.प्र.मु.व.स (भू - प्रबंध/व.सं.अ)
छत्तीसगढ़